



दहेज संबंधी दुर्व्यवहार

दहेज-संबंधी हिंसा या उत्पीड़न एक प्रकार की घरेलू और पारिवारिक हिंसा है।

दहेज संबंधी रिवाज अलग-अलग देशों और संस्कृतियों में अलग-अलग हो सकते हैं।

'दहेज' एक प्रथा है जो धन, संपत्ति या उपहारों का हवाला देती है जिन्हें सामान्यतः महिला के परिवार द्वारा उसके विवाह के समय उसके पति को दिए जाते हैं। दहेज का प्रयोग करना अपने आप में दुर्व्यवहार का एक प्रकार नहीं है।

विवाह से पहले, विवाह के दौरान या विवाह के बाद किसी भी समय दहेज देने या लेने से संबंधित जोर-जबरदस्ती, हिंसा या उत्पीड़न का कोई कृत्य दुर्व्यवहार का एक प्रकार होता है। दहेज संबंधी दुर्व्यवहार में आम-तौर पर ये दावे शामिल होते हैं कि दहेज दिया नहीं गया है और महिला तथा उसके विस्तृत परिवार से आगे और धन या उपहार देने के लिए जोर-जबरदस्ती की माँगें किए जाना शामिल होता है।

ऑस्ट्रेलिया में घरेलू और पारिवारिक हिंसा कानून के समक्ष अपराध हैं। इन अपराधों को करने वाले व्यक्ति को जेल हो सकती है, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या महिला।

यदि आपको या आपके किसी जानकार को खतरा है तो पुलिस को **000** पर फोन करें।

ऑस्ट्रेलिया की पुलिस सुरक्षित है और इस पर भरोसा किया जा सकता है।

निःशुल्क व गोपनीय परामर्श और जानकारी के लिए 1800RESPECT को **1800 737 732** पर फोन करें।

यदि आपको एक निःशुल्क दुभाषिण की ज़रूरत है तो **131 450** पर फोन करें।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार (Australian Government) किसी भी परिस्थिति में दहेज-संबंधी हिंसा या उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करती है।

Australian Government दहेज-संबंधी हिंसा और उत्पीड़न सहित पारिवारिक हिंसा के मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है। सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को हिंसा, भय या जोर-जबरदस्ती के बिना जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, भले ही उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं और विचार-धाराएं कुछ भी हों।

दहेज-संबंधी हिंसा और उत्पीड़न में ऐसे आचरण या धमकियाँ शामिल हैं जिनका लक्ष्य किसी सहजीवी (पार्टनर) या उसके परिवार को भयभीत करके या उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने की धमकी देकर उनपर नियंत्रण करना होता है।

यदि आप यहाँ किसी वीज़ा पर रह रहे/रही हैं, तो क्या फिर भी आप सहायता प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

सहजीवी (पार्टनर), परिवार के सदस्य या समुदाय के अन्य लोग आपकी वीज़ा स्थिति को लेकर आपको धमकी नहीं दे सकते हैं।

यदि आप टेम्पररी पार्टनर वीज़ा (सबक्लास 309 या 820) या प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीज़ा धारक हैं और आप दहेज संबंधी पारिवारिक हिंसा का अनुभव करते/करती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी कानूनों में पारिवारिक हिंसा प्रावधान शामिल हैं जो आपको अपने परमानेंट पार्टनर वीज़ा (सबक्लास 100 या 810) के आवेदन को जारी रखना सक्षम बनाते हैं।

दहेज का प्रयोग करके किसी व्यक्ति का जबरन विवाह नहीं किया जा सकता है।

यदि किसी व्यक्ति की पूरी और स्वतंत्र सहमति के बिना उसे विवाह करने हेतु विवश करने के लिए दहेज का प्रयोग किया गया था, तो यह एक ज़बरन विवाह की घटना हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया में, हर किसी को यह अधिकार है कि क्या वह विवाह करना चाहते/चाहती हैं, किससे और कब विवाह करना चाहते/चाहती हैं। किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए ज़ोर-जबरदस्ती करना, उन्हें डराना-धमकाना या उनके साथ छल-कपट करना ऑस्ट्रेलिया में गैर-कानूनी है। जबरन विवाह को बढ़ावा देना या इसका प्रबंध करने में सहायता देना, तथा यदि आप जबरन विवाह के शिकार नहीं है तो इसमें शामिल होना भी गैर-कानूनी है। यह कानूनी, सांस्कृतिक और धार्मिक विवाहों पर लागू होता है।

ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सेवाएँ हैं जो सहायता कर सकती हैं।

1800RESPECT ऑस्ट्रेलिया की यौन उत्पीड़न, पारिवारिक और घरेलू हिंसा परामर्शी सेवा है। यह निःशुल्क, गोपनीय टेलीफोन और ऑनलाइन सलाह एवं सूचना प्रदान करती है। सलाहकार आपकी बात सुनेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और वे आपको आपके स्थानीय क्षेत्र में अन्य समर्थन सेवाओं को रेफर कर सकते/सकती हैं।

1800 737 732 पर फोन करें या **www.1800RESPECT.org.au** पर **1800RESPECT** वेबसाइट देखें।

(माई ब्लू स्काई) **My Blue Sky** ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय वेबसाइट और हेल्पलाइन है जिसका उद्देश्य जबरन विवाह की रोकथाम करना, इस संबंधी सूचना, रेफरल और निःशुल्क कानूनी सलाह देना है।

(02) 9514 8115 पर फोन करें, **0481 070 844** पर टेक्स्ट भेजें, **help@mybluesky.org.au** पर ई-मेल करें, या **www.mybluesky.org.au** पर (माई ब्लू स्काई) **My Blue Sky** वेबसाइट देखें।

पारिवारिक हिंसा और वीजा, जबरन विवाह और मानव तस्करी से सम्बन्धित अधिक जानकारी गृह मामला विभाग (**Department of Home Affairs**) की वेबसाइट **www.homeaffairs.gov.au** पर जाकर “forced marriage” सर्च करके प्राप्त की जा सकती है।

क्या आपको दुभाषिए की ज़रूरत है?

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (**Translating and Interpreting Service - TIS**) को **131 450** पर फोन करें। TIS का

दुभाषिया आपको अन्य सेवाओं के साथ संचार करने में मदद दे सकता है, परन्तु TIS सलाह-मशवरा सेवा प्रदान नहीं करती है। सभी कॉल्स निःशुल्क और गोपनीय होती हैं।